भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

केंद्रीय संचार ब्यूरो

सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

फा. सं. 14/0009/2526-एमआर एंड सी   दिनांक : 31.07.2025

परामर्शिका

विषय: नए प्रकाशनों के लिए अगस्त, 2025 माह में सीबीसी में पैनलबद्ध होने के इच्छुक प्रकाशकों द्वारा भरे जाने हेतु नए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के संबंध में।

दिनांक 01/08/2020 से प्रभावी प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति, 2020 के खंड - 6.3.1 की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया जाता है, जिसमें यह उल्लेख है कि **"पैनलबद्धता हेतु नए आवेदन सीबीसी की वेबसाइट पर पैनलबद्धता मोडयूल पर वर्ष में दो बार अर्थात पहली बार फरवरी माह में और दूसरी बार अगस्त माह में किए जाएं।"**

2. उपर्युक्त नीति प्रावधान के अनुपालन में, सीबीसी अपनी वेबसाइट (https://cbcindia.gov.in/cbc/vendor-login) पर नई पैनलबद्धता के लिए आवेदन दर्ज करने के लिए विंडो खोलेगी, जो 01/08/2025 से प्रभावी होगा। यह प्रपत्र (फॉर्म) 31/08/2025 तक खुला रहेगा।

3. भारत सरकार की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति, 2020 के खंड - 6.4 (ङ) के अनुसार नई पैनलबद्धता के लिए आवेदनों के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में "सीबीसी में नई पैनलबद्धता के लिए आवेदन करने वाले सभी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को प्रकाशनों की नमूना प्रतियां (specimen copies) जमा करना अपेक्षित है"।

4. सभी प्रकार से विधिवत भरे गए ऑनलाइन आवेदन के अलावा, उपर्युक्त नीति प्रावधान के अनुपालन में, आवेदक प्रकाशकों द्वारा (समाचारपत्रों और पत्रिकाओं) सीबीसी (एमआर एण्ड सी विंग) को निम्नलिखित तिथि/माह के प्रकाशनों की हार्ड कॉपी भेजना आवश्यक है। **आवेदक प्रकाशकों को उक्त नमूना प्रतियां (specimen copies) की पीडीएफ प्रति ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है।**

दैनिकों के मामलों में, हार्ड कॉपी निम्न रुप में अपेक्षित है:-

(i) 10 फरवरी, 2025 से 14 फरवरी, 2025
(ii) 21 अप्रैल, 2025 से 25 अप्रैल, 2025
(iii) 02 जून, 2025 से 06 जून, 2025
} (पन्द्रह प्रतियां)

साप्ताहिकों और पाक्षिकों के मामले में, हार्ड कॉपी निम्न रुप में अपेक्षित है:-

(i) फरवरी, 2025, अप्रैल, 2025 और जून, 2025 (तीन माह)

मासिकी के मामले में, हार्ड कॉपी निम्न रुप में अपेक्षित है:-

(i) जनवरी 2025 से जून, 2025 (छः माह)

5. ऑनलाइन अपलोड की गई और ऑफलाइन भेजी गई नमूना प्रतियों में किसी भी प्रकार का अंतर होने पर आवेदन अपूर्ण और अस्वीकृत माना जाएगा।

6. **सभी** समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को भारतीय प्रेस परिषद से प्राप्त " बेबाकी प्रमाणपत्र " (No Due certificate) (यद्यपि परिचालन 25000 प्रतियों से कम हो) प्रस्तुत करना होगा।

प्रकाशनों की हार्ड कॉपी "**श्री इरशाद अली, सहायक निदेशक, एम आर एंड सी, कक्ष सं. 155, केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना भवन, नई दिल्ली - 110003"** को **केवल रजिस्टर्ड डाक** के माध्यम से ही 10 सितम्बर, 2025 तक प्राप्त होनी चाहिए। (सीबीसी कांऊन्टर से नमूना प्रतियों की मूल प्रतियां स्वीकार नहीं की जाएगी)

ऐसे समाचारपत्रों/पत्रिकाओं जिनकी नमूना प्रतियां निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुई हो या नमूना प्रति की पीडीएफ ऑनलाइन अपलोड नहीं की गई हो (यद्यपि उनका ऑनलाइन आवेदन समय से किया गया हो) संबंधी आवेदनों को अगली पीएसी बैठक में जांच करने उन्हें रखने के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

यह महानिदेशक, सीबीसी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

गौरव खरे
31/07

(गौरव खरे)
निदेशक